न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड-800015

दूरभाष सं0-0612-2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 777/आ॰ 1781 दिनांक- 10 जुलाई'19

आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-04/2019

प्रकरण:- श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना में नि:शक्त छात्र/छात्राओं के नामांकन/निबंधन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राचार्या "आशादीप" संस्था दीघाघाट, पटना

बनाम

(1) प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना।

(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना।

(3) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना।

वाद सं0-04/2019

(1) पारित आदेश की तिथि - 01.07.2019

संदर्भित वाद : सुनवाई हेतु उपस्थित किया गया।
उपस्थिति : प्रतिवादी उपस्थित
परिवादी : अनुपस्थित

श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना में निःशक्त छात्र–छात्राओं के नामांकन/निबंधन नहीं किये जाने पर परिवादी के शिकायत पत्र न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्राचार्य श्री चन्द्र सीनियर सेकेन्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी बालू पर, पटना के प्रधानाध्यापक एवं परिवादी को नोटिस जारी करते हुए निदेश दिया गया कि दि0–24.06.2019 के अपराह्न 3:00 बजे दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष रखेंगे।

पहली सुनवाई की तिथि दि0–24.09.2019 को निर्गत नोटिस के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना तथा प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि दिव्यांग बच्चों के नामांकन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी थी, जो नहीं प्राप्त होने के कारण उन बच्चों का नामांकन में विलम्ब हुआ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिव्यांग बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं करने के आरोप से प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से किया गया।

समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना द्वारा सुलभ करायी प्रतिवेदन असंतोषजनक है।

इस पर प्रधानाध्यापक की ओर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु समय की माँग की गयी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा आदेशित किया कि, उनके द्वारा समर्पित की जाने वाली प्रतिवेदन में इस बात को समाहित किया जाय कि किन परिस्थितियों में दिव्यांग बच्चों के नामांकन उक्त विद्यालय में नहीं किया गया तथा अगले वित्तीय वर्ष में इस प्रकार बच्चों के नामांकन हेतु उनकी रणनीति क्या होगी। साथ ही साथ इन दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति हेतु उनके द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं।

कृ0पृ030............

इस आदेश के साथ वाद की अगली सुनवाई की तिथि दि0–01.07.2019 निर्धारित की गयी। द्वितीय सुनवाई की तिथि को प्रतिवादी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री जय प्रकाश सिंह, अधिवक्तता, पटना उच्च न्यायालय तथा श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना के प्रधानाध्यापक श्री फैज अहमद द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के अनुशंसा पत्र सं0–1961 दि0–31.05.2019 के समीक्षोपरांत श्री फैज अहमद, सहायक शिक्षक (प्रभारी प्रधानाध्यापक) को विभागीय आदेश सं0–1245 दि0–26.06.2019 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को पटना जिले में संचालित सरकारी एवं गैरसरकारी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षा, शिक्षक की उपलब्धता, बाधारहित वातावरण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा–3, 16, 17, 18, 31 एवं 40 कराने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिवेदन सुलभ कराने का निदेश दिया गया।

प्रतिवादी प्रधानाध्यापक श्री फैज अहमद ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना द्वारा दूरभाष पर नामांकन कराने का आदेश प्राप्त होते ही आशादीप संस्था के प्राचार्या से विद्यालय में नामांकन हेतु सम्पर्क कर नामांकन करा लेने का अनुरोध किया। इस पर संस्था के प्राचार्या द्वारा सूचित किया गया कि कुल–21 मूकबधिर बच्चों का नामांकन दूसरे विद्यालय में करा लिया गया है। अगले वर्ष से मूक–बधिर बच्चों का नामांकन हेतु उनके द्वारा सम्पर्क किया जायेगा। इसके साथ ही श्री चन्द्र सीनियर सेकेंण्ड्री +2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना के प्रधानाध्यापक द्वारा अनजाने में हुई अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बताया कि आशादीप संस्था के बच्चों के नामांकन लेने के लिए इनकार नहीं किया बल्कि बच्चों के नामांकन पश्चात भविष्य में कठिनाई न हो। ऐसा आशय एवं नियम की जानकारी के अभाव में उनके द्वारा किया है। इसके लिए तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा खेद प्रकट किया गया है।

इस परिपेक्ष्य में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उनके पक्षों को सुनते हुए वाद संख्या–04/2019 की कार्रवाई को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा–3, 16, 17, 18, 31 एवं 40 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को इसकी जानकारी दी जाय ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृति न हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1961 दि0–31.05.2019 के आलोक में लिये गये संज्ञान को वापस लेने की अनुशंसा किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निर्गत करें।

01.07.19

(डॉ0 शिवाजी कुमार),
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-04/2019-777/आ.नि.श

दिनांक-10 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
साथ हीं अनुरोध है कि पूरे राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा–3, 16, 17, 18, 31 एवं 40 पर किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

01.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-04/2019-777/आ.नि.श

दिनांक-10 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-04/2019-777/आ.नि.श

दिनांक-10 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-प्राचार्य,, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, कुर्जी, बालूपर, पटना-10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वाद सं0-04/2019-777/आ.नि.श

दिनांक-10 जुलाई'19

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, "आशादीप", फेयरफिल्ड कॉलोनी, दीघाघाट, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

01.07.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।